

मध्य प्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय

150

बल्लभ भवन भोपाल-462004


आदेश :-

भोपाल, दिनांक 17.10.2003

क्रमांक एफ 18-45/2002/वि.प्र./20 :- इस विभाग का समसंख्यक आदेश दिनांक 26-7-2003 निरस्त किया जाता है।

2/- इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 24-12-98 एवं 1-3-99 तथा 6-2-86 के अनुक्रम में तथा उच्चतम न्यायालय में दायर याचिका क्रमांक 1999/2000 के निर्णय दिनांक 27-3-2000 तथा विभिन्न न्यायालयीन निर्णयों के परिणाम में राज्य शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि दिनांक 16-6-1993 तक नियुक्त ऐसे सभी शिक्षक जिन्होंने स्वयं के व्यय पर सेवाकाल के दौरान, विभागीय अनुमति प्राप्त कर बी.एड./बी.टी.आई. का प्रशिक्षण/उपाधि प्राप्त किया हो उन्हें 23-10-1964 से 1-3-1999 तक की अवधि में बी.एड./बी.टी.आई. परीक्षा उत्तीर्ण करने के दिनांक से ही पेंशनवादी की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार


§ एस.के. वर्मा §
उप सचिव


मध्य प्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

पृष्ठांक 18-45/2002/वि.प्र./20 भोपाल, दिनांक 17.10.2003
प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव, मानव मंत्री, स्कूल शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश शासन.
2. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल.
3. महालेखाकार, मध्य प्रदेश शासन.
4. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल.
5. आयुक्त, राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश, भोपाल.

निरंतर... 2/-

6. आयुक्त, लोक शिक्षण, म०प्र०भोपाल
7. संचालक, एत. सी. ई. आर. टी. म०प्र०भोपाल.
8. संचालक, राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान जबलपुर {म०प्र०}
9. समस्त जिलाध्यक्ष, मध्यप्रदेश.
10. समस्त मुख्य कार्यवाहन अधिकारी, जिला/जनपद पंचायत मध्यप्रदेश.
11. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, मध्यप्रदेश.



उप. सचिव

म०प्र०शासन, स्कूल शिक्षा विभाग